सामाजिक कार्यकर्ता अनिल कुमार

अब तीन साल बाद स्वत : स्थाई होगी मान्यता

जासं,वाराणसी: बेसिक शिक्षा विभाग से अस्थाई मान्यता प्राप्त विद्यालयों को स्थाई मान्यता के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं हैं। तीन साल बाद स्वतः उन्हें स्थाई मान लिया जाएगा। बशर्ते उनके खिलाफ कोई गंभीर आरोप या प्रतिकूल प्रविष्टि न हो।

बेसिक शिक्षा विभाग प्राथमिक व जूनियर हाईस्कूल स्तर के विद्यालयों में पहले तीन वर्ष के लिए अस्थाई मान्यता देता है। तीन वर्ष बाद स्थाई मान्यता के लिए निजी विद्यालयों को दोबारा आवेदन करना पड़ता था। ऐसे में उन्हें एक बार फिर मान्यता संबंधित समस्त पत्रावलियां जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय जमा करनी पड़ती थी। मान्यता समिति की संस्तुति के बाद निजी विद्यालयों को स्थाई मान्यता जारी की जाती थी। जनपद में ऐसे करीब सौ विद्यालयों की स्थाई वैधता की मान्यता 30 जून-2021 को समाप्त हो गई थी।

इन विद्यालयों ने स्थाई मान्यता के लिए बीएसए कार्यालय में प्रार्थना पत्र भी दिया है। यही नहीं तमाम विद्यालय अब भी स्थाई मान्यता के लिए बीएसए कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। अब उन्हें बीएसए कार्यालय की दौड़ लगाने की जरूरत नहीं हैं। बीएसए राकेश सिंह ने बताया कि आरटीई में अब अस्थाई मान्यता का प्रावधान खत्म कर दिया है। मान्यता की शर्तों में इसका स्पष्ट उल्लेख भी है। ऐसे में जिन विद्यालयों को मान्यता मिली है उन्हें नवीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है।

निजी विद्यालय

- अस्थाई मान्यता प्राप्त विद्यालयों को अब चिंता करने की जरूरत नहीं
- गंभीर आरोप या प्रतिकूल प्रविष्टि न होने पर ही मिलेगा इसका लाभ

न्यूनतम पांच केंद्रों पर हो मोहल्ला क्लास का संचालन

जासं, वाराणसी : जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राकेश सिंह की अध्यक्षता में शनिवार को बैठक हुई। इसमें विभाग की ओर से संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए बीएसए ने कई निर्देश दिए। सभी खंड शिक्षा अधिकारी व जिला समन्वयक को निर्देशित किया कि हंड्रेड डेज कैंपेन का वृहद आयोजन विद्यालय के समीप क्षेत्रों में कराया जाए। प्रत्येक विद्यालय के समीप कम से कम पांच केंद्रों पर मोहल्ला कक्षाओं का आयोजन कराया जाए।